मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012-श्रावण 12, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सहजलाल पिता मुन्शी अंकित है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सहसराम पिता मुन्शी अंकित है. जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम सहसराम पिता मुन्शी है. अतः अब मुझे इसी नाम अर्थात् सहसराम पिता मुन्शी के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सहजलाल)
पिता मुन्शी.

नया नाम :

(सहसराम)
पिता मुन्शी,
ग्राम-हिर्री, तहसील किरनापुर,
जिला बालाघाट (म. प्र.).

(94-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम उपनाम सहित निची झोपे (NICHI ZOPEY) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित रितु झोपे (RITU ZOPEY) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित रितु झोपे (RITU ZOPEY) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(निची झोपे)
(NICHI ZOPEY)

नया नाम :

(रितु झोपे)
(RITU ZOPEY)
सी-287, सी-सेक्टर, शाहपुरा,
भोपाल (म. प्र.).

(97-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित आशिक अली नकवी (ASHIQ ALI NAQVI) परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित आशिक अली नकी (ASHIQ ALI NAQUI) हो गया है. अत: अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित आशिक अली नकी (ASHIQ ALI NAQUI) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(आशिक अली नकवी)
(ASHIQ ALI NAQVI)

नया नाम :

(आशिक अली नकी)
(ASHIQ ALI NAQUI)
16/3, स्ट्रीट नं. 3, ओल्ड पलासिया,
महिला उद्योग गृह के पास,
इन्दौर (म. प्र.).

(98-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. रामराजा कन्शट्रेक्शन का जो प्रधान कार्यालय ओरछा, जिला टीकमगढ़ में था उसका परिवर्तन दिनांक 1-4-2011 से फर्म का प्रधान कार्यालय जेर हाऊस, पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ में बना लिया है एवं फर्म में दिनांक 1-4-2002 से नाथूराम यादव आत्मज श्री पेज सिंह यादव, ग्राम कुंवरपुरा, पो. ढिल्ला, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) एवं समीर गर्ग आत्मज श्री मदन मोहन गर्ग, पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) जो भागीदार थे वह अपनी स्वेच्छा से दिनांक 1-4-2011 से अलग हो गये हैं. उन सभी के स्थान पर दिनांक 1-4-2011 से विनेन्द्र सिंह राठौर आत्मज श्री विनय सिंह राठौर, जेर हाऊस, पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ भागीदार हो गये हैं. यह संशोधन फर्म में दिनांक 1-4-2011 से किया गया हैं.

भवदीय,

मे. रामराजा कन्शट्रेक्शन,
भागीदार विनय सिंह राठौर,
जेर हाऊस, पृथ्वीपुर,
जिला टीकमगढ़ (म. प्र.).

स्थान :—पृथ्वीपुर
दिनांक 12 जुलाई, 2012.

(95-बी.)

म. प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 14 जून, 2012

क्र. : 04-02/195/यो. व ऊ. प./829.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67 (2) एवं धारा 176 (2) ङ के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतसम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

और यह कि इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

(1) **नाम :** ये परियोजनायें 220 व 132 किलोवोल्ट (के. वी.) लाइनों से सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगीं.

(2) **परियोजनाओं का विवरण:** परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

I. डिपॉजिट कार्य :

1. सतपुड़ा पॉवर हाउस के प्रस्तावित राखड़बंध के निर्माण के कारण 220 केवी सारणी-पांर्डुना डीसीडीएस लाइन के लोकेशन

क्रमांक 3 अ से 17 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–2×2.15 कि. मी. अनुमानित लागत—468.36 लाख रुपये.

2. सतपुड़ा पॉवर हाउस के प्रस्तावित राखड़बंध के निर्माण के कारण 132 केवी सारणी–छिन्दवाड़ा डीसीएसएस लाइन के लोकेशन क्रमांक 305 से 311 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–2×1.40 कि. मी., अनुमानित लागत—251.71 लाख रुपये.

3. सतपुड़ा पॉवर हाउस के प्रस्तावित राखड़बंध के निर्माण के कारण 132 केवी सारणी–बैतूल एकल परिपथ लाइन के लोकेशन क्रमांक 01 से 05 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–1×1.30 कि. मी., अनुमानित लागत—143.82 लाख रुपये.

4. सतपुड़ा पॉवर हाउस के प्रस्तावित राखड़बंध के निर्माण के कारण 132 केवी सारणी–घोड़ाडोंगरी एकल परिपथ लाइन के लोकेशन क्रमांक 36 से 44 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–1×2.90 कि. मी., अनुमानित लागत—265.38 लाख रुपये.

5. पुरवा नहर के निर्माण के कारण 220 केवी सतना–टोंस लाइन के लोकेशन क्रमांक 158–159 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–2×0.71 कि. मी., अनुमानित लागत—59.2 लाख रुपये.

6. जल संसाधन विभाग द्वारा छुनुआबुजुर्ग टेंक के निर्माण के कारण 220 केवी सतना–टोंस लाइन के लोकेशन क्रमांक 158–159 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–1×2.01 कि. मी., अनुमानित लागत—81.77 लाख रुपये.

7. म. प्र. सड़क विकास निगम द्वारा उज्जैन–जावरा सड़क के निर्माण के कारण के कारण 220 केवी नागदा–नीमच लाइन से मानक न्यूनतम दूरी के निर्धारण हेतु लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–2×1.30 कि. मी., अनुमानित लागत—37.4 लाख रुपये.

8. खुशलपुरा सिंचाई परियोजनांतर्गत ग्राम परसुलिया तहसील ब्यावरा के पास दायीं तट नहर के निर्माण के कारण 132 केवी ब्यावरा–पछौर लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–1×0.90 कि. मी., अनुमानित लागत—32.49 लाख रुपये.

9. बिलगॉव मध्यम सिंचाई बांध परियोजना के निर्माण के कारण 220 केवी सूखा (पीजीसीआईएल)–बिरसिंगपुर/अमरकंटक लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–2×6.56 कि. मी., अनुमानित लागत—498.23 लाख रुपये.

10. बिलगॉव मध्यम सिंचाई बांध परियोजना के निर्माण के कारण 220 केवी जबलपुर–अमरकंटक लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–2×8.04 कि. मी., अनुमानित लागत—619.34 लाख रुपये.

11. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा नागपुर–छिन्दवाड़ा रेलवे ट्रेक के नैरोगेज से ब्राडगेज में परिवर्तन के कारण 132 केवी छिन्दवाड़ा इंटरकनेक्टर लाइन (पुरानी 132 केवी सिवनी–छिन्दवाड़ा द्वि परिपथ लाइन) का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–2×1.39 कि. मी., अनुमानित लागत—111.35 लाख रुपये.

12. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा झांसी–लखनादौन अनुभाग में 220 केवी जबलपुर–नरसिंहपुर डीसीडीएस लाइन के लोकेशन क्रमांक 222–223 के बीच 4 लेन रोड के निर्माण के कारण लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/ विस्थापन कार्य, लम्बाई–1×1.30 कि. मी., अनुमानित लागत—119.93 लाख रुपये.

13. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा झांसी–लखनादौन अनुभाग में 132 केवी नरसिंहपुर–गाड़रवाडा एकल परिपथ लाइन के लोकेशन क्रमांक 57–58 के बीच 4 लेन रोड के निर्माण के कारण लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई–1×0.80 कि. मी., अनुमानित लागत—21.59 लाख रुपये.

14. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा झांसी-लखनादौन अनुभाग में 4 लेन रोड के निर्माण के कारण 132 केवी सिवनी-लखनादौन एकल परिपथ लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×3.10 कि. मी., अनुमानित लागत—98.21 लाख रुपये.

15. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा झांसी-लखनादौन अनुभाग में 4 लेन रोड के निर्माण के कारण 132 केवी नरसिंहपुर इंटरकनेक्टर डीसीडीएस लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×0.80 कि. मी., अनुमानित लागत—74.86 लाख रुपये.

16. नर्मदा डेव्लपमेंट डिवीजन क्रमांक 32 के द्वारा ओंकारेश्वर नहर परियोजना फेस-2 के कारण 132 केवी इंदौर-बड़वाहा लाइन के लोकेशन क्रमांक 169-172 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×1.00 कि. मी., अनुमानित लागत—26.31 लाख रुपये.

17. नर्मदा डेव्लपमेंट डिवीजन क्रमांक 32 के द्वारा ओंकारेश्वर नहर परियोजना फेस-2 के कारण 220 केवी इंदौर-बड़वाहा लाइन के लोकेशन क्रमांक 151-154 तक उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.80 कि. मी., अनुमानित लागत—35.14 लाख रुपये.

18. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एनएच 59 मार्ग के इंदौर-अहमदाबाद अनुभाग में 4 लेन रोड के निर्माण के कारण 132 केवी इंदौर-धार एकल परिपथ लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×8.74 कि. मी., अनुमानित लागत—242.79 लाख रुपये.

19. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एनएच 59 मार्ग के इंदौर-अहमदाबाद अनुभाग में 4 लेन रोड के निर्माण के कारण 132 केवी उपकेन्द्र घाटाबिल्लौद हेतु डीसीडीएस टेप लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×1.25 कि. मी., अनुमानित लागत—41.00 लाख रुपये.

20. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एनएच 59 मार्ग के इंदौर-अहमदाबाद अनुभाग में 4 लेन रोड के निर्माण के कारण 132 केवी उपकेन्द्र राजगढ़ (220 केवी)-राजगढ़ (132 केवी) इंटरकनेक्टर-1 लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×1.52 कि. मी., अनुमानित लागत—64.69 लाख रुपये.

21. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एनएच 59 मार्ग के इंदौर-अहमदाबाद अनुभाग में 4 लेन रोड के निर्माण के कारण 132 केवी उपकेन्द्र राजगढ़ (220 केवी)-राजगढ़ (132 केवी) इंटरकनेक्टर-2 लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×2.67 कि. मी., अनुमानित लागत—81.93 लाख रुपये.

22. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एनएच 3 मार्ग के इंदौर-देवास अनुभाग में 6 लेन रोड के निर्माण के कारण 220 केवी उपकेन्द्र इंदौर-देवास लाइन (लोकेशन क्रमांक 9 से 12 तक) का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.72 कि. मी., अनुमानित लागत—47.31 लाख रुपये.

23. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एनएच 3 मार्ग के इन्दौर-देवास अनुभाग में 6 लेन रोड के निर्माण के कारण 132 केवी उपकेन्द्र इंदौर-बड़वाहा लाइन (लोकेशन क्रमांक 19 से 23 तक) का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.97 कि. मी., अनुमानित लागत—35.66 लाख रुपये.

24. म. प्र. सड़क विकास निगम द्वारा भोपाल बॉयपास मार्ग पर रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण के कारण 132 केवी भोपाल-विदिशा लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.336 कि. मी., अनुमानित लागत—35.24 लाख रुपये.

25. म. प्र. सड़क विकास निगम द्वारा भोपाल बॉयपास मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण के कारण 132 केवी सूखी सेवनिया रेलवे ट्रेक्शन लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×0.335 कि. मी., अनुमानित लागत—14.99 लाख रुपये.

26. म. प्र. सड़क विकास निगम द्वारा भोपाल बॉयपास मार्ग पर रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण के कारण 220 केवी भोपाल-आष्टा लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.385 कि. मी., अनुमानित लागत—29.44 लाख रुपये.

27. 132 केवी विद्युत राघोगढ़ से मे. गैल इंडिया लिमिटेड, विजयपुर के परियोजना स्थल तक 132 केवी द्वि परिपथ लाइन का उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत निर्माण कार्य, लम्बाई-2×7.00 कि. मी., अनुमानित लागत—467.23 लाख रुपये.

28. मे. गैल इंडिया लिमिटेड, विजयपुर के परियोजना हेतु 132 केवी गुना-राघोगढ़ लाइन द्वितीय परिपथ की उपभोक्ता सहभागिता कार्यान्तर्गत स्ट्रिंगिंग कार्य (मे. गैल हेतु टेपिंग प्वाइट से 132 केवी उपकेन्द्र राघोगढ़ तक), लम्बाई-1×6.5 कि. मी., अनुमानित लागत—78.35 लाख रुपये.

II अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 40.84 करोड़ रुपये है.

(3) टावर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

व्ही. के. तिवारी,
अतिरिक्त सचिव.

(96-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, रायसेन

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 5 की उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) देखिये]

श्रीमती ममता दुबे पत्नि श्री आर. एन. दुबे, निवासी तहसील के पीछे, सुभाष नगर, सांची रोड, रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश ने गायत्री परिवार ट्रस्ट, रायसेन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता.—गायत्री परिवार ट्रस्ट, रायसेन.
2. चल सम्पत्ति.— प्रारम्भिक निधि के रूप में 3598/- रुपये बैंक खाते में जमा.
3. अचल सम्पत्ति.— निरंक.

बी. एस. ईवने,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(332)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था जगन्नाथ आदि. मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., सलैंहा, पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 22 नवम्बर, 1997 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/488, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था आदि. मछुआ सहकारी समिति मर्या., पटेहराकला (गोरियरा) पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 3 अप्रैल, 2003 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/490, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था मछली पालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह, पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 11 जून, 2004 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/486, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 31 जनवरी, 1995 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/494, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था श्रीराम आदिवासी मछली सहकारी समिति मर्या., गजरी, पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 13 जुलाई, 2005 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/478, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था शिव बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुरहट, पंजीयन क्रमांक 855, दिनांक 23 अप्रैल, 2002 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/474, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था मुखर्जी प्लास्टिक एवं लीफ पार्ट निर्माण एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी, पंजीयन क्रमांक 827, दिनांक 27 जुलाई, 2001 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/476, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था छत्रजीत कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., गाड़ा बवन सिंह, पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 21 मार्च, 2001 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/477, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत

न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था प्राथमिक ईंधन सहकारी समिति मर्या., रामपुरनैकिन, पंजीयन क्रमांक 855, दिनांक 23 अप्रैल, 2002 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/474, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., हड़बेड़ा, पंजीयन क्रमांक 755, दिनांक 20 नवम्बर, 1997 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/479, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., हड़बड़ो, पंजीयन क्रमांक 1093, दिनांक 27 जनवरी, 2009 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/481, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री सुरेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., सिविल लाईन, सीधी, पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 23 जुलाई, 2004 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/484, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री सुरेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था ईंटा भट्टा सहकारी समिति मर्या., पटपरा, पंजीयन क्रमांक 626, दिनांक 31 मार्च, 1992 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/483, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

संस्था इंदिरा गांधी स्मृति महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी समिति मर्या., रोझौंहा, पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 24 फरवरी, 1988 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/485, दिनांक 5 अप्रैल, 2012 के माध्यम से विगत कई वर्षों से कार्य-व्यापार बन्द कर दिये जाने, संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराने, विगत कई वर्षों से लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराने, उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें नियमित रूप से आहूत न करने तथा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत वर्षों से सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाने के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये 30 दिवस में यथेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त जारी सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उल्लेखित संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-M)

सीधी, दिनांक 11 जून, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., डोल, जिला सीधी (म. प्र.).

क्र./परि./2012/690.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., डोल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., डोल, पंजीयन क्रमांक 847, दिनांक 6 फरवरी, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, हरिजन-आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., शिवपूरवा, जिला सीधी (म. प्र.).

हरिजन-आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., शिवपूरवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न हरिजन-आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., शिवपूरवा, पंजीयन क्रमांक 183, दिनांक 22 जुलाई, 2000 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला आदिवासी मछली पालन एवं उद्योग
सहकारी संस्था मर्या., पवया, जिला सीधी (म. प्र.).

महिला आदिवासी मछली पालन एवं उद्योग सहकारी समिति मर्या., पवया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है.

संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला आदिवासी मछली पालन एवं उद्योग सहकारी समिति मर्या., पवया, पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 27 मार्च, 1995 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा, जिला सीधी (म. प्र.).

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य-व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसायटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा, पंजीयन क्रमांक 872, दिनांक 6 अगस्त, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बघोर, जिला सीधी (म. प्र.).

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बघोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बघोर, पंजीयन क्रमांक 982, दिनांक 11 फरवरी, 2005 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़बडो, जिला सीधी (म. प्र.).

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़बडो, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़बडो, पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 22 जनवरी, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-S)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मरसरहा, जिला सीधी (म. प्र.).

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., मरसरहा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.

2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., मरसरहा, पंजीयन क्रमांक 859, दिनांक 10 जुलाई, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-T)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. हटवा, जिला सीधी (म. प्र.).

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हटवा; मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.

2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.

4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.

5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हटवा, पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 19 फरवरी, 2004 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-U)

सीधी, दिनांक 11 जून, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुपेला, जिला सीधी (म. प्र.).

क्र./परि./2012/700.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुपेला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उपं-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुपेला, पंजीयन क्रमांक 897, दिनांक 25 फरवरी, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-V)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टीकटकला, जिला सीधी (म. प्र.).

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टीकटकला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत

सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टीकटकला, पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 18 फरवरी, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-W)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सरदा, जिला सीधी (म. प्र.).

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन,

सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सरदा, पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 28 जून, 2005 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-X)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, रूद्र रिक्शा पुलर एवं ठेला सहकारी समिति मर्या., मड़रिया, जिला सीधी (म. प्र.).

रूद्र रिक्शा पुलर एवं ठेला सहकारी समिति मर्या., मड़रिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न रूद्र रिक्शा पुलर एवं ठेला सहकारी समिति मर्या., मड़रिया, पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 12 फरवरी, 2004 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-Y)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझरेटी, जिला सीधी (म. प्र.).

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझरेटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझरेटी, पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 11 फरवरी, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(336-Z)

सीधी, दिनांक 11 जून, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कोठार, जिला सीधी (म. प्र.).

क्र./परि./2012/705.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कोठार, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी

है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कोठार, पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 13 अक्टूबर, 2004 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(337)

सीधी, दिनांक 11 जून, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तितिरा शुक्लान, जिला सीधी (म. प्र.).

क्र./परि./2012/706.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तितिरा शुक्लान, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारण से क्यों न आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तितिरा शुक्लान, पंजीयन क्रमांक 882, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(337-A)

सीधी, दिनांक 11 जून, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमिलिया, जिला सीधी (म. प्र.).

क्र./परि./2012/707.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमिलिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमिलिया, पंजीयन क्रमांक 796, दिनांक 6 जनवरी, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(337-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कपुरी, जिला सीधी (म. प्र.).

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कपुरी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी

संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कपुरी, पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 3 अप्रैल, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(337-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., सिहावल, जिला सीधी (म. प्र.).

श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., सिहावल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारण से क्यों न श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., सिहावल, पंजीयन क्रमांक 807, दिनांक 23 जनवरी, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(337-D)

सीधी, दिनांक 11 जून, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा.— अध्यक्ष, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़खुटी कोठार, 587, जिला सीधी (म. प्र.).

क्र./परि./2012/711.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़खुटी कोठार, 587, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा इस पर अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि के उपबन्धों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन बन्धनकारी है. संस्था को निम्नांकित कारणों से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है :—

1. विगत कई वर्षों से संस्था ने कार्य व्यापार बन्द कर दिया है.
2. सोसाइटी द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से अपने लेखों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया है.
4. संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि अनुसार नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती हैं.
5. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-49 (1) के प्रावधानानुसार विगत कई वर्षों से अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में वर्णित पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों से क्यों न महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़खुटी कोठार, 587, पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 11 फरवरी, 2005 को अधिनियम की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) अन्तर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

इस सूचना-पत्र का यथेष्ट उत्तर, सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह मानकर कि इस सम्बन्ध में संस्था की ओर से आपको कुछ नहीं कहना है, संस्था को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर समापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

नरेश सिन्हा,
उप-रजिस्ट्रार.

(337-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

नयनतारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.
पंजीयन क्र.-डी. आर.बी.-749, दिनांक 9 जुलाई, 1997.

संस्था अध्यक्ष, श्री सुधांशु अग्रवाल द्वारा संस्था की 13.46 एकड़ भूमि पंजीयक की अनुमति से विक्रय करने का उल्लेख करते हुए, दिनांक 25 मई, 2012 को संचालक मंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव जिसमें सदस्यों द्वारा आगे भूमि क्रय करने में रुचि नहीं लेने, आवास के लिये इच्छुक नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाने एवं धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है.

उपरोक्त कारणों से प्रथम दृष्टया संस्था को परिसमापन में लाने हेतु पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संस्था की विशेष साधारण सभा में समस्त सदस्यों के विचाराधीन रखा जावे तथा विशेष साधारण सभा द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 17 जुलाई, 2012 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रति उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा की संस्था के समस्त सदस्यों को उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 2 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

(338)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र. 1884, दिनांक 25 जुलाई, 2001 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., धुलेटिया जिसका पंजीयन क्रमांक 826, दिनांक 23 अक्टूबर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. परिहार, व पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(333)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 8 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर, तहसील देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 748, दिनांक 20 मई, 1999 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1531, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिंगपुर, तहसील देवरी, जिला सागर (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 748, दिनांक 20 मई, 1999 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(335)

सागर, दिनांक 8 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़ोली जवाहर, तहसील खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 934, दिनांक 18 सितम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1445, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़ोली जवाहर, तहसील खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 934, दिनांक 18 सितम्बर, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अरूण कुमार मिश्र,
उप-पंजीयक.

(335-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012-श्रावण 12, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, टीकमगढ़, उमरिया, राजगढ़ को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जिला ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), टीकमगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), राजगढ़ (राजगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला प. निमाड़ में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला दतिया, दमोह, भोपाल, रायसेन, बैतूल, कटनी व डिण्डोरी में गेहूँ व पन्ना में मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर तथा धार, इन्दौर, होशंगाबाद, हरदा, मण्डला व सिवनी में रबी मौसम की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, सिंगरौली, झाबुआ, भोपाल, रायसेन, छिन्दवाड़ा में सिंचाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, सोयाबीन, गेहूँ, राई-सरसों समान.		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	6.4		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	4.0		(2) . .		
3. भितरवार	0.2				
4. घाटीगांव	0.5				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) गेहूँ समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	6.0				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. मोहनगढ़	. .				
7. पलेरा	. .				
8. ओरछा	9.0				
9. लिधौरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द,मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अलसी अधिक. मसूर कम. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .			चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	. .		(2) . .		
4. मऊगंज	. .				
5. हनुमना	. .				
6. हजूर	. .				
7. गुढ़	. .				
8. रायपुरकर्चुलियान	. .				
9. जबा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .			चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	11.4		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	10.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा अधिक. अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		राई-सरसों, चना, मटर, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		. गेहूँ, जौ समान.		
4. कुसमी	. .		(2) . .		
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		अधिक. तुअर, मसूर, आलू, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		मटर समान.		
			(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		ज्वार, तुअर समान.		
3. मल्हारगढ़	. .		(2) . .		
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, आलू, प्याज अधिक. चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		जौ, उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) . .		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) . .		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	3.2				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ फसल की कटाई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .		
3. आष्टा	. .				
4. जावर	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) . .		
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर सुधरी हुई.		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेडा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, तिवड़ा, लाख, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, रतलाम, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(331)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.